

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक व्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके बावजूद भी श्री जयकान्त मेहता पे0 श्री सोखी राम, सा0 झलाड़ी थाना ग्वालपाड़ा जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित नहीं करने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 226/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-126/2858 (ग्वालपाड़ा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाब अबतक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। साथ ही लोक सभा आम चुनाव-2014 के अवसर पर पुनः शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 की तिथि निर्धारित किया गया। अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा एवं थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा के पत्रांक शून्य दिनांक 16.03.2014 से प्राप्त संयुक्त प्रतिवेदन में भी इनका नाम अंकित नहीं है। बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जो मनमानेपन का द्योतक है। यह भी स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। संचिका अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभी भी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विहिन हैं एवं अब इन्हें शस्त्र की आवश्यकता नहीं रह गई है और न ही इन्हें कोई जानमाल का खतरा है। यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ मनमानेपन एवं अनुज्ञप्ति शर्त का उल्लंघन है।

अतएव शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति शर्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए श्री जयकान्त मेहता पे0 श्री सोखी राम, सा0 झलाड़ी थाना ग्वालपाड़ा जिला मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-126/2858(ग्वालपाड़ा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से "रद्द" किया जाता है एवं शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-21 के तहत आदेश दिया जाता है कि वे अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में "रद्द" प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/—

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....207...../विधि, मधेपुरा, दिनांक.....10.4.14.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री जयकान्त मेहता पे0 श्री सोखी राम, सा0 झलाड़ी थाना ग्वालपाड़ा जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

10/04/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।